

कायालय-प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्या :

/आदेश/एण्टी रैगिंग समिति/12/2026-27,

दिनांक : ०५ जून 2026

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के राजपत्रित पत्र संख्या-582 दिनांक 20-11-2021 एवं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईनो के अनुपालन में मेडिकल कॉलेजों एवं संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध नियमावली में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश संख्या-7568/आदेश/एण्टीरैगिंगसमिति/2026-27 दिनांक 19-02-2026 में आशिक संशोधन कर रैगिंग की रोकथाम के लिये रैगिंग रोधी समिति / एण्टीरैगिंग समिति का पुर्नगठन निम्न प्रकार किया जाता है-

क्रम	सदस्य का नाम एवं पदनाम	पद	मोबाईल संख्या	ई-मेल
1	डॉ० सुधीर कुमार, प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज झाँसी	अध्यक्ष	9415073541	principalmcjhs@gmail.com
2	डॉ० रामबाबू, आचार्य मेडिसिन विभाग	सचिव	9415360664	dr.rbsjhansi@gmail.com
3	सिटी मजिस्ट्रेट, झाँसी	सदस्य	9454418936	citymagistratejhs@nic.in
4	सी०ओ० सिटी, झाँसी	सदस्य	9454401433	cocityjhs@nic.in
5	डॉ० सचिन माहुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य	9935907477	drsachinmahur0308@gmail.com
6	डॉ० सौरभ अग्रवाल, आचार्य आयुर्विज्ञान विभाग	सदस्य	9452750818	drsorabh2@gmail.com
7	डॉ० प्रभाकर सिंह बैस, सह आचार्य, विभा० बायोकेमिस्ट्री	सदस्य	9412492597	radhapuram94@gmail.com
8	डॉ० छवि सेठी, सह आचार्य एनेस्थीसिया विभाग	सदस्य	8299357047	dr_chavi@yahoo.com
9	डॉ० जकी सिद्दीकी, सह आचार्य मेडिसिन विभाग	सदस्य	9450137367	drzakissiddiqui@gmail.com
10	डॉ० रजनी गौतम, सह आचार्य गायत्री विभाग	सदस्य	9889313155	rajnigautam.32@gmail.com
11	श्री राजकुमार अब्जुम, सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य	9415946102	rajkumaranjum@gmail.com
12	श्रीमती दीप्ती गुलाटी, सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य	9935647171	deepti62@gmail.com
13	श्री अरिन्दम घोष, पत्रकार	सदस्य	6388132012	arindamghosh07@gmail.com
14	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, पत्रकार	सदस्य	9415113003	Pksatt_pradeep@yahoo.co.in
15	श्री बी०के० दीक्षित, अधिवक्ता	सदस्य	9415194369	bhupendrakumr473@gmail.com

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (मेडिकल कॉलेज एवं संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध नियमावली-2021) के दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में रैगिंग की रोकथाम के लिये उपरोक्त समिति आवश्यक कार्यवाही करेगी।

नोट : रैगिंग से पीड़ित छात्र किसी भी प्रकार की रैगिंग की सूचना गोपनीय रूप से लिखित रूप में अथवा दूरभाष पर दे सकता है। कार्यालय में उपलब्ध शिकायत पेटिका में भी इस आशय की सूचना दी जा सकती है। कॉलेज प्रांगण के समस्त निवासियों से अपेक्षा की जाती है, कि वे किसी भी अशोभनीय कृत्य की सूचना देकर सहयोग प्रदान करें।

प्रधानाचार्य,

महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय
झाँसी।

संख्या : 1181 /आदेश/एण्टी रैगिंग/12/2026-27, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1) सचिव, एण्टी रैगिंग सेल, नई दिल्ली।
- 2) कुल सचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4) समस्त विभागाध्यक्ष, मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, झाँसी ।
- 5) डा० रामबाबू, आचार्य एवं सचिव, एण्टी रैगिंग सेल, मेडिकल कालेज झाँसी।
- 6) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, झाँसी ।
- 7) समिति के सदस्यों को सूचनार्थ।
- 8) अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, समस्त छात्रावास, मेडिकल कालेज झाँसी ।
- 9) नोटिस बोर्ड/आदेश पुस्तिका।
- 10) प्रभारी अधिकारी वेबसाइट।

प्रधानाचार्य,
महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय
L.L.B. Medical College,
Jhansi